


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1277)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सीमा पण्डया, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीमलवाडा (जिला डूंगरपुर) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 02.01.2017 से 01.01.2019 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 02.01.2019 से 06.04.2019 तक 95 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 07.04.2019 से 01.05.2019 तक 25 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
4. दिनांक 02.05.2019 से 01.01.2020 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।


  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(1277)/2018/1309 दिनांक:- 13/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड सीमलवाडा (जिला डूंगरपुर)।
3. प्रधानाचार्य, अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट, उदयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर